



वार्षिक प्रतिवेदन

2012 - 13



सूचना का
अधिकार
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन : 2012-13

500 प्रतियाँ

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून



वार्षिक प्रतिवेदन

2012 – 13



**सूचना का
अधिकार**

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रावक्तव्य	1
2	सूचना अधिकार आंकड़ों में	3
3	सूचना का अधिकार अधिनियम	5
4	उत्तराखण्ड सूचना आयोग	11
5	आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही	49
6	राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली, 2013	59
7	सूचना आवेदन पत्रों, द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का संख्यात्मक विवरण	117
8	लोक प्राधिकारियों के स्तर पर धारा 4(1)(रव) के अंतर्गत स्वःप्रकटन की स्थिति	133
9	आयोग के अंगीकृत संकल्प	147
10	आयोग की संस्तुतियाँ	155
11	आयोग द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण निर्देश	159
12	आयोग द्वारा द्वितीय अपीलों / शिकायतों में आरोपित शास्त्रियां तथा अंकित आदेशों का सार	173
13	आयोग द्वारा धारा 25 के अंतर्गत की गयी अनुश्रवणात्मक कार्यवाही	199
14	आयोग द्वारा की गयी समीक्षा बैठकें	209
15	आयोग द्वारा दी गयी इन्टर्नशिप	231
16	वर्ष 2012 - 13 में आयोग को प्राप्त बजट	241



सूचना का
अधिकार

प्राक्कथन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए यह वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

भारतीय संसद द्वारा वर्ष 2005 में पारित किये जाने के उपरान्त सूचना का अधिकार अधिनियम अब अपने 8वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। इस अधिनियम के माध्यम से हुये एक कान्तिकारी परिवर्तन के रूप में भारतीय नागरिकों के सशक्तिकरण को अप्रत्याशित बल मिला है तथा सरकारी काम-काज की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व बढ़ा है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभाव के कारण अब आम नागरिक न केवल अपने अधिकारों के प्रति ही नहीं बल्कि जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण प्रकरणों के सम्बन्ध में भी जागरूक हो गये हैं। शासन-प्रशासन/सरकार की बढ़ी हुयी जवाबदेही एवं उत्तरदायित्वता इस सबका एक सकारात्मक प्रभाव/रूप है। आम नागरिक अब अधिकांश सरकारी सूचना को इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त कर सकते हैं तथा साथ ही विभिन्न राजकीय निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को परखने के लिए निर्माण सामग्री के नमूने भी प्राप्त कर सकते हैं।

इस वार्षिक प्रतिवेदन से पूर्व उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा प्रथम (वर्ष 2005-06), द्वितीय (वर्ष 2006-07), तृतीय (वर्ष 2007-08), चतुर्थ (वर्ष 2008-09), पंचम (वर्ष 2009-10), षष्ठम् (वर्ष 2010-11) तथा सप्तम् (वर्ष 2011-12) के वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम तथा षष्ठम् वार्षिक प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किया जा चुका है। आयोग के वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदन को अभी राज्य विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाना अवशेष है।

विभिन्न लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों को नियमानुसार कियान्वित किये जाने की दशा पर ही यह वार्षिक प्रतिवेदन केंद्रित है। इसके अतिरिक्त लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्र; प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त विभागीय अपीलें;

आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि; धारा 19(3) के अन्तर्गत आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण; आयोग द्वारा आरोपित शास्तियों आदि से सम्बन्धित विवरण भी इस प्रतिवेदन में दिये गये हैं।

आंकड़ों के हिसाब से वर्ष 2012-13 में प्रदेश में कुल 87691 सूचना अनुरोध पत्र विभिन्न लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त हुये, जिसके सापेक्ष कुल 76934 अनुरोध पत्रों का निस्तारण किया गया। इस अवधि में विभिन्न प्रथम अपीलीय अधिकारियों को कुल 8108 प्रथम अपीलों भी प्राप्त हुयीं, जिसके सापेक्ष कुल 6969 प्रथम अपीलों का निस्तारण किया गया।

वर्ष 2012-13 में आयोग द्वारा कुल 3928 द्वितीय अपीलों तथा 1697 शिकायतों पर सुनवाई की गयी जिसमें से कमशः 2894 अपीलों तथा 1655 शिकायतों का आयोग स्तर से निस्तारण किया गया।

विगत वर्षों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिनियम के उपयोग के प्रतिशत में कुछ सुधार आया है, परन्तु शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा यह प्रतिशत अभी भी बहुत कम है। महिलाओं द्वारा अधिनियम के उपयोग का प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा अत्यधिक कम है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों तथा महिलाओं द्वारा अधिनियम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक प्रयास किये जाने चाहिए।

आयोग के पूर्व वार्षिक प्रतिवेदनों की भाँति ही इस वार्षिक प्रतिवेदन में भी राज्य सरकार के स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में संस्तुतियां की गई हैं। इन संस्तुतियों पर अपेक्षित कार्यवाही से सूचना का अधिकार अधिनियम के समुचित क्रियान्वयन को और अधिक बल प्राप्त होगा। मैं आशा करता हूं कि आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

भारतीय संसद द्वारा नागरिकों को प्रदान किये गये इस सूचना का अधिकार के संरक्षक के रूप में कार्य करना भी उत्तराखण्ड सूचना आयोग के अधिदेश का एक महत्वपूर्ण अंग है, तथा इसके पूर्ण-रूपेण पालन के लिए सूचना आयोग का सशक्त

होना अत्यन्त आवश्यक है। सूचना आयोग की इस भूमिका को निभाने के लिए आयोग के राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है तथा सराहनीय कार्य करते हुए निरन्तर अथक प्रयास किये जा रहे हैं।

मैं इस अवसर पर उत्तराखण्ड सरकार तथा विशेष रूप से मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन को सूचना का अधिकार अधिनियम में विभिन्न उत्तरदायित्वों के निर्वहन में आयोग को समय समय पर प्रदत्त सहायता एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

इस वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने में आयोग के अधिकारियों, विशेष रूप से श्री राजेश नैथानी, निजी सचिव / जन संपर्क अधिकारी, द्वारा जो विशेष प्रयास किया गया है, उसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं।

एन. एस. नपलच्याल

मुख्य सूचना आयुक्त



सूचना अधिकार आंकड़ों में

1	कुल लोक प्राधिकारी कार्यालय	212
2	कुल सहायक लोक सूचना अधिकारी	642
3	कुल लोक सूचना अधिकारी	9421
4	कुल प्रथम अपीलीय अधिकारी	1092

(ओतः लोक सूचना अधिकारियों की निर्देशिका, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, वर्ष 2007-08)

वर्ष 2012 - 13

1	प्रदेश के समस्त लोक सूचना अधिकारियों को प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों की संख्या	87,691*			
2	प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष निस्तारित आवेदनों की संख्या	76,934*			
3	प्रदेश के समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त प्रथम / विभागीय अपीलों की संख्या	8,108*			
4	प्राप्त प्रथम अपीलों के सापेक्ष निस्तारित अपीलों की संख्या	6,969*			
5	प्रथम पांच विभाग जिन्हें सबसे अधिक सूचना आवेदन पत्र प्राप्त हुये*				
	राजस्व	विद्यालयी शिक्षा	गृह	वन	वित्त
	17821	11312	7031	6768	6276
4	आलोच्य वर्ष में आयोग को प्राप्त द्वितीय अपील				
	कुल द्वितीय अपीलों पर सुनवाई	कुल निस्तारण			
	3928	2894			
5	आलोच्य वर्ष में आयोग को प्राप्त शिकायत				
	कुल शिकायतों पर सुनवाई	कुल निस्तारण			
	1697	1655			
6	आयोग द्वारा आरोपित शास्तियों / क्षति पूर्तियों की संख्या	125 शास्ति 11 क्षतिपूर्ति			
7	आरोपित शास्तियों / क्षति पूर्तियों की धनराशि (रु.)	9,02,750			
8	आयोग द्वारा संस्तुत विभागीय कार्यवाही की संख्या	2			

*(प्रदेश के लोक प्राधिकारियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर)

सूचना का अधिकार

अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मूल भावना में भारत के संविधान के अनुच्छेद : 19(1) एवं संयुक्त राष्ट्र (United Nations) द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (1948) में इंगित सार तत्व सन्तुष्टि है।

इस अधिनियम को अंगीकृत कर भारत विश्व के उन 55 राष्ट्रों की श्रेणी में सम्मिलित हो गया है जहाँ सूचना के अधिकार को विधिक मान्यता प्रदान की गयी है। उक्त 55 राष्ट्रों में से अधिकांश पाश्चात्य और आर्थिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र हैं। भारत उन कुछ विकासशील राष्ट्रों में से एक है जहाँ ऐसा अधिनियम बनाया गया है।

सूचना का अधिकार विधेयक, 2004 लोक सभा में दिनांक 23 दिसम्बर, 2004 को प्रस्तुत किया गया एवं उक्त विधेयक कतिपय संशोधनों के उपरान्त दिनांक 11 मई, 2005 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया। राज्य सभा द्वारा उक्त विधेयक दिनांक 12 मई, 2005 को पारित किया गया। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा इस अधिनियम को 15 जून, 2005 को अपनी स्वीकृति प्रदान की गयी, तत्पश्चात महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति के दिनांक से 120वें दिन अर्थात् 12 अक्टूबर, 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभाव में है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का मुख्य उद्देश्य लोक प्राधिकारियों (Public Authorities) की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना है। "लोक प्राधिकारी" की परिभाषा में सभी संवैधानिक संस्थाओं, सरकारी / गैर सरकारी कार्यालय, निगम, स्थानीय निकाय, पंचायतें, तथा ऐसे गैर सरकारी संगठन सम्मिलित हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियों से किसी न किसी रूप में वित्त-पोषित हैं।

सूचना का अधिकार नागरिकों को लोक प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करने हेतु अधिकार सम्पन्न करता है तथा कतिपय अपवादों को छोड़ कर लोक प्राधिकारी के द्वारा नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराने का प्राविधान करता है। नागरिकों को जो सूचना देय है उससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार यह अधिनियम लोकतंत्र में नागरिकों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सशक्त अधिकार से लैस करता है ताकि सरकारों की नागरिकों के प्रति जवाबदेही बनी रहे।

सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से, नागरिकों की जो पहुंच लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में सूचना तक,

सुनिश्चित की गई है, उसे धरातल पर सुलभ कराने के लिए एक "व्यावहारिक शासन पद्धति" (practical regime) को इस अधिनियम के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

सूचना का अधिकार का नाम क्या है ?

अधिनियम में सूचना का अधिकार की निम्नलिखित प्रस्तावना (Preamble) दी गयी है :

"प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनसे आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम"।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत :

- भारत के किसी भी नागरिक द्वारा अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक संस्थाओं, केंद्र एवं राज्य सरकार के विभागों, संस्थाओं, निगमों, निकायों तथा पूर्ण/आंशिक रूप से वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों से सूचना प्राप्त की जा सकती है।
- इन संवैधानिक संस्थाओं, विभागों / सरकारी संस्थाओं / निकायों द्वारा अपने कार्यालयों में अधिनियम के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किये जाने अनिवार्य हैं।
- भारतीय नागरिक सरकारी निर्माण कार्य और अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते हैं, सरकारी अभिलेखों की सत्यापित प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं तथा कार्य में प्रयोग की गयी सामग्री का नमूना भी प्राप्त कर सकते हैं।
- उत्तराखण्ड राज्य में अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी से रु. 10 मात्र के शुल्क सहित लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त की जा सकती है। शुल्क का भुगतान नकद, भारतीय पोस्टल ऑर्डर, चैक, गैर न्यायिक स्टॉप्स, बैंक ड्राट के माध्यम से

- किया जा सकता है. बी.पी.एल. कार्ड धारक को सूचना प्राप्ति के लिए कोई फीस नहीं देनी है.
- लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध करायी जानी है. 30 दिन की अवधि में सूचना प्राप्त न होने अथवा अपूर्ण प्राप्त होने अथवा प्राप्त सूचना से संतुष्ट न होने की स्थिति में विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील की जा सकती है. 30 दिन की अवधि में विभागीय अपील का निस्तारण न होने अथवा अपूर्ण / अस्पष्ट सूचना प्राप्त होने पर द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में की जा सकती है. विभाग द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त न करने पर अथवा अपूर्ण / भ्रामक सूचना देने पर राज्य सूचना आयोग में शिकायत की जा सकती है.
 - जीवन एवं स्वतंत्रता से सम्बन्धित सूचना 48 घण्टे के अन्दर दिये जाने का प्राविधान है.

लोक प्राधिकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (परिभाषायें) के अन्तर्गत अधिनियम में 'लोक प्राधिकारी' से (क) संविधान द्वारा या उसके अधीन; (ख) संसद द्वारा बनाई गयी किसी अन्य विधि द्वारा; (ग) राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गयी किसी अन्य विधि द्वारा; (घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना या किये गये आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकरण या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है; और इसके अंतर्गत (इ) कोई ऐसा निकाय जो केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा वित्त पोषित है; (ii) कोई ऐसा गैर सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करायी गयी निधियों द्वारा वित्त पोषित है, सम्मिलित है.

उपरोक्त परिभाषा के अन्तर्गत ही उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी 29 जुलाई 2005 के शासनादेश द्वारा

- (i) सचिवालय में शासन के समस्त विभागों,
- (ii) शासन के समस्त निदेशालयों,
- (iii) निदेशालयों के मुख्यालयों,
- (iv) मण्डल स्तरीय सभी कार्यालयों,
- (v) जनपद स्तरीय सभी कार्यालयों,
- (vi) सब डिविजन स्तरीय सभी कार्यालयों,
- (vii) विकास खण्ड स्तरीय सभी कार्यालयों,

- (viii) सभी सार्वजनिक निगमों, परिषदों, प्राधिकरणों, संस्थाओं, स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा अन्य निकायों,
- (ix) शहरी क्षेत्रों की समस्त नगर पंचायतों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर निगम,
- (x) प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों, तथा
- (xi) ऐसी सभी गैर सरकारी संस्थाओं को, जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार से बड़ी मात्रा में वित्त पोषित हैं, को लोक प्राधिकारी घोषित किया गया है (शासनादेश संख्या 177/XXII/2005 दिनांक 29/07/05).

इसके अतिरिक्त राज्य विधान सभा द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा गठित विश्वविद्यालय भी लोक प्राधिकारी की परिभाषा से आच्छादित होते हैं.

शासनादेश संख्या 177/XXII/2005; 29/07/05 को उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के नियम 4 के साथ पढ़े जाने पर यह स्पष्ट होगा कि सभी प्रमुख सचिव या सचिव, जिस विभाग / जिन विभागों के वे प्रशासनिक मुखिया हैं, वे इन लोक प्राधिकारियों को प्रख्यापित करने के लिए उत्तराधायी प्राधिकारी हैं. उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के नियम 4 तथा शासनादेश दिनांक 29 जुलाई 2005 के अनुसार विभागीय प्रमुख सचिव / सचिव का यह उत्तराधायित्व है कि वह अपने प्रशासनिक विभाग के अन्तर्गत सभी लोक प्राधिकारियों को प्रख्यापित कर उनसे अपेक्षा करें कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जो लोक प्राधिकारियों के कर्तव्य तथा उत्तराधायित्व हैं, उनका अनुपालन करें. लोक प्राधिकारियों के प्रख्यापित करने में विलम्ब से सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों का क्रियान्वयन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है.

सूचना का अधिकार अधिनियम में एक महत्वपूर्ण 'स्टेक होल्डर' वे विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष भी हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से बतौर लोक प्राधिकारी चिन्हांकित किया गया है तथा जिन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु मुख्य रूप से उत्तराधायी माना गया है.

लोक सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी

प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(1) के अनुपालन में लोक सूचना अधिकारियों का नामांकन किया जायेगा. यह लोक सूचना

अधिकारी प्रत्येक लोक प्राधिकारी के समस्त प्रशासनिक इकाईयों तथा कार्यालयों के लिए अलग—अलग नामित किये जाने हैं। लोक सूचना अधिकारी ऐसा अधिकारी होगा जिसे लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा में रखी गयी सूचना उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो।

लोक सूचना अधिकारियों तथा सहायक लोक सूचना अधिकारियों की संख्या तथा उन्हें किस स्तर तक नामित किया जाये, इसका निर्धारण करते समय जन सामान्य की सुविधा का भी ध्यान रखा जायगा।

ऐसी गैर सरकारी संस्थाएँ, जिन्हें लोक प्राधिकारी के रूप में चिह्नित किया गया है, वे भी लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी नामित करेंगे।

अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारियों के स्तर पर इतनी संख्या में सहायक लोक सूचना अधिकारी नामित किये जायेंगे जिससे प्रार्थना पत्र / अपीलों को प्रस्तुत करने में जन सामान्य को कोई कठिनाई न हो।

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के द्वारा प्रथम अपील के लिए विभागीय अपीलीय अधिकारी को भी नामित किया जायेगा जो नामित लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ स्तर का कोई अधिकारी होगा।

लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों, संदर्भों, शिकायतों तथा अपीलों को सामान्य पत्राचार के रूप में व्यवहृत न कर इनके निर्धारित अलग पंजिका में इस प्रकार से रखे जायेंगे जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित किसी भी पत्राचार की प्राप्ति अथवा उसके निस्तारण सम्बन्धी सूचना तात्कालिक रूप से उपलब्ध हो सके तथा अन्य श्रोतों से मांगे जाने पर सम्बन्धित सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जा सके।

अधिनियम की महत्वपूर्ण धारायें

धारा 4

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा धारा 4 के अन्तर्गत समस्त लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना को स्वैच्छिक रूप से प्रकट (Pro-Active Disclosures) करने का प्राविधान है। अधिनियम की धारा 1(3) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत इंगित अभिलेखों को अधिनियम के गजट नोटिफिकेशन के 120 दिन के अन्दर अर्थात् 12/10/2005 तक पूर्ण कर लेना अपेक्षित था,

जिससे लोक प्राधिकारी से सम्बन्धित सूचना इस अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय मैनुअल के रूप में जन-सामान्य को आसानी से सुलभ हो सके। प्रत्येक मैनुअल के अन्त में, मैनुअल के नैरेटिव के सापेक्ष, मूल शासनादेशों की प्रतियां भी क्रमबद्ध रूप से संलग्न किये जाने होते हैं जिससे ऐसे सभी सुसंगत तथ्य इन मैनुअलों में उपलब्ध हों जो जनता को प्रभावित करते हैं।

लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार मैनुअलों तक जनसामान्य की पहुंच को सहज बनाने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 4(2), 4(3) तथा 4(4) के अन्तर्गत मैनुअलों को प्रकाशित करने तथा इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित करना सुनिश्चित करना होता है।

धारा 6

किसी भी लोक प्राधिकारी से सूचना प्राप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी को निर्धारित फीस के साथ आवेदन किया जाना होता है। इस अनुरोध पत्र में आवेदक को अपने डाक पते के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी होती है।

यदि लोक सूचना अधिकारी को प्राप्त आवेदन पत्र में मांगी गयी सूचना उसके कार्यालय से सम्बन्धित नहीं हैं, अथवा उसके कार्यालय द्वारा धारित नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में वह लोक सूचना अधिकारी अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत अनुरोध पत्र को सही/सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिन की अवधि में अन्तिरिक्त करना सुनिश्चित करेगा, तथा इस अन्तरण के सम्बन्ध में आवेदक को भी लिखित रूप में सूचित करेगा।

धारा 7

प्राप्त अनुरोध पत्र पर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी द्वारा (i) मांगी गयी सूचना के सापेक्ष अतिरिक्त शुल्क (यदि हो तो आवेदन प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर) की गणना कर आवेदक को अवगत कराया जायेगा, तथा अतिरिक्त शुल्क की धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध करायी जायेगी; अथवा (ii) आवेदन प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध करायी जायेगी।

धारा 19

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत आवेदकों को विभागीय स्तर पर प्रथम अपील करने का अधिकार प्रदान किया गया है जिसका प्रयोग उनके द्वारा सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी से अस्पष्ट सूचना प्राप्त होने/सूचना न प्राप्त होने अथवा प्राप्त सूचना से संतुष्ट न

होने की स्थिति में किया जाता है। प्रथम अपील की नियमानुसार सुनवाई ऐसे नामित विभागीय अधिकारियों द्वारा किये जाने का प्राविधान अधिनियम में दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से उच्च स्तर के हों। प्रथम अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रथम अपीलों का 30 दिन की समयावधि के भीतर निस्तारण करना होता है। प्रथम अपील पर दिये गये निर्णय लिखित में जारी करने में यदि निर्धारित 30 दिन की अवधि से अधिक समय लगता है तो इस अतिरिक्त अवधि के लिए लिखित में आवश्यक रूप से कारण अभिलिखित करना चाहिए तथा यह अतिरिक्त अवधि निर्धारित 30 दिन की अवधि सहित किसी भी दशा में कुल 45 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए।

प्रथम अपील की नियमानुसार सुनवायी व निस्तारण न होने, अथवा प्रथम अपील के निस्तारण से क्षुब्ध होने की स्थिति में अपीलकर्ता द्वारा आयोग में अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत द्वितीय अपील की जा सकती है। इस द्वितीय अपील में अपीलकर्ता को अपने सूचना अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त सूचना (यदि दी गयी हो), प्रेषित प्रथम अपील तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा किये गये निस्तारण (यदि किया गया हो) की स्वःप्रमाणित प्रतियां लगायी जानी आवश्यक हैं। द्वितीय अपील को आयोग में तीन प्रतियों में जमा कराना होता है।



उत्तराखण्ड
सूचना आयोग

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

उत्तराखण्ड सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, उत्तरांचल शासन, सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 253 / XXII / 2005-1(20)2005 दिनांक 03 अक्टूबर 2005 के द्वारा किया गया था जिसके क्रम में राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में डा. आर. एस. टोलिया की नियुक्ति उत्तरांचल शासन, सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 252 / XXII / 2005-1(20)2005 दिनांक 03 अक्टूबर 2005 के द्वारा की गयी थी। इसके उपरांत राज्य सरकार द्वारा माह नवम्बर, 2009 में अधिसूचना संख्या 780 / XXX(13)G / 2009 दिनांक 11 नवम्बर, 2009 के द्वारा श्री विनोद नौटियाल को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था।

आयोग एवं प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डा. आर. एस. टोलिया दिनांक 17 / 10 / 10 को सेवानिवृत्त हुये जिसके उपरांत दिनांक 19 / 10 / 10 को राज्य सरकार द्वारा श्री एन. एस. नपलच्याल को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया (अधिसूचना संख्या 933 / XXX(13)G / 2009 – 52 (5)207). दिनांक 19 / 10 / 10 को ही राज्य सरकार द्वारा श्री अनिल कुमार शर्मा तथा श्री प्रभात डबराल को भी राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी। (अधिसूचना संख्या 934 / XXX(13)G / 2009-52(5)207 तथा अधिसूचना संख्या 935 / XXX(13)G / 2009-52(5)207)। इस प्रकार वर्ष 2012-13 की अवधि में उत्तराखण्ड सूचना आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों पर सुनवाई मुख्य सूचना आयुक्त श्री एन. एस. नपलच्याल एवं राज्य सूचना आयुक्त, श्री विनोद नौटियाल, श्री अनिल कुमार शर्मा तथा श्री प्रभात डबराल द्वारा की गयी।

राज्य सूचना आयोग के लिए अधिनियम में दी गयी व्यवस्थायें

- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के अनुसार राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति जारी करके एक राज्य सूचना आयोग का गठन करेगी। राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा यथा आवश्यक अधिकतम दस राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं। इन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश

पर महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा की जायेगी। इस समिति के अध्यक्ष मा. मुख्यमंत्री होंगे तथा विधानसभा में विपक्ष के नेता तथा मुख्य मंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे।

- अधिनियम की धारा 15(5) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त वही व्यक्ति नियुक्त किये जा सकेंगे जो सार्वजनिक जीवन में जानेमाने व्यक्ति हों तथा उन्हें कानून, विज्ञान व टेक्नॉलॉजी, समाज सेवा, प्रबन्धन, पत्रकारिता, मास मीडिया या प्रशासन क्षेत्र का विस्तृत ज्ञान व अनुभव हो। इन्हें न तो सांसद होना चाहिए और न ही किसी राज्य की विधानसभा या विधान मंडल का सदस्य होना चाहिये। उन्हें किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी भी नहीं होना चाहिये। इन्हें किसी व्यापार या व्यवसाय में भी नहीं लिप्त होना चाहिये।
- मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्तों को महामहिम श्री राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी।
- राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त राज्यपाल को सम्बोधित इस्तीफा देकर किसी भी समय अपना पद त्याग सकते हैं।
- राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की सेवा शर्तें व भत्ते भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त के समान होंगे तथा राज्य सूचना आयुक्तों की सेवा शर्तें व भत्ते राज्य के मुख्य सचिव के समान होंगे। इस वेतन, भत्ते में से पिछली सेवा के पेंशन लाभों को घटा दिया जायेगा। इनके सेवा काल में वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य राज्य सूचना आयुक्तों को अपने कार्य करने के लिये आवश्यकतानुसार स्टाफ आदि की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- उत्तराखण्ड सूचना आयोग का कार्यालय वर्तमान में सूचना का अधिकार भवन, मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून से संचालित हो रहा है।

आयोग की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शास्त्रियां शिकायतों पर कार्यवाही

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18(1) के अधीन आयोग किसी भी नागरिक को सूचना न मिलने, मिथ्या अथवा भ्रामक सूचना उपलब्ध कराने, अनुचित फीस मांगने, अभिलेख उपलब्ध न कराने अथवा समय से सूचना उपलब्ध न कराने के संबंध में किसी लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायत को दर्ज कर उसकी जांच अधिनियम की धारा 18(2) में कर सकता है। ऐसी जांचों के संबंध में अधिनियम की धारा 18(3) में आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गयी हैं :

- किन्हीं व्यक्तियों को समन करना, और उन्हें उपस्थित कराना शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना
- दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना
- किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मांगना
- साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना
- कोई अन्य विषय जो विहित किया जाये।

आयोग स्तर पर द्वितीय अपील का निस्तारण

लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय के विरुद्ध प्रथम अपील, लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी, जिसे अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है, को विनिश्चय के 30 दिन के भीतर की जा सकती है। प्रथम अपील के विभागीय अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग में 90 दिन के भीतर की जा सकेगी। द्वितीय अपील में अपने विनिश्चय के संबंध में राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं :

- लोक प्राधिकारियों से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना जो अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों।
- सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्रारूप में ऐसा अनुरोध किया गया है।
- लोक प्राधिकारियों में यथास्थिति लोक सूचना अधिकारी / अपीलीय अधिकारी को नियुक्त करना।

- लोक प्राधिकारी के यहां अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनिष्टीकरण से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना।
- अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना।
- लोक प्राधिकारी से शिकायकर्ता को, उसके द्वारा वहन की गयी किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना।
- अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्त्रियों में से कोई शास्त्र अधिरोपित करना।

द्वितीय अपील में राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय बाध्यकारी होगा।

शास्ति

अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत आयोग यदि किसी शिकायत या अपील के विनिश्चय करते समय पाता है कि किसी लोक सूचना अधिकारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिये आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है, या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट किया है जो अनुरोध का विषय थी या सूचना देने में बाधा डाली है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक सूचना दी जाती है, दो सौ पचास रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकता है, तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी। परन्तु शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व संबंधित लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा। अधिनियम की धारा 20(2) के अधीन आयोग ऐसे प्रकरणों में लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध विभागीय सेवा नियमावली के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अधिनियम की धारा 25 में सूचना आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के संबंध में लोक प्राधिकारी के कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के अधिकार प्रदान किये गये हैं। इनमें मुख्यतः :

- प्रत्येक विभाग / लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचनाओं को एकत्रित कराना जो इस अधिनियम के अन्तर्गत वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है।

- प्रत्येक विभाग / लोक प्राधिकारी इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस सूचना को आयोग को देने तथा अभिलेख रखने से सम्बन्धित अपेक्षाओं का पालन करेगा।
- सूचना आयोग ऐसे सुधार के लिए सिफारिशों राज्य सरकार को प्रेषित करेगा जिनके अंतर्गत इस अधिनियम या विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशों या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने के सुसंगत कोई अन्य विषय भी हैं।
- यदि सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं हैं तो वह लोक प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुये, जो ऐसी अनुरूपता बढ़ाने के लिए किये जाने चाहिए, सिफारिश कर सकेगा।

वार्षिक प्रतिवेदन

आयोग द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 25(1) के प्राविधान के क्रम में प्रत्येक वर्ष अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में एक वार्षिक रिपोर्ट / प्रतिवेदन तैयार किया जाता है तथा उसकी प्रतियां राज्य सरकार को प्रेषित की जाती हैं। अधिनियम की धारा 25(4) के अनुसार आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य सरकार द्वारा विधान मण्डल के पटल पर रखा जाता है।

उक्त वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए राज्य सरकार के समस्त विभागों द्वारा अपने – अपने लोक प्राधिकारियों के सम्बन्ध में आयोग द्वारा अपेक्षित सूचना को अधिनियम की धारा 25(2) के क्रम में आयोग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करना होता है।



**सूचना का अधिकार अधिनियम
की धारा 4(1)(ख) के
स्वः प्रकटीकरण के प्राविधान
के अन्तर्गत तैयार
उत्तराखण्ड सूचना आयोग
का मैनुअल**



**सूचना का
अधिकार**

2012 – 13

मैनुअल संख्या : 1 [(धारा 4(1)(ख)(i)]]

उत्तराखण्ड सूचना आयोग की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य

- उत्तराखण्ड सूचना आयोग का गठन, उत्तराखण्ड शासन के सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 253 /XXII /2005-1 (20) 2005 दिनांक 3 अक्टूबर, 2005 द्वारा किया गया है।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के लिये प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में डॉ. आर. एस. टोलिया की नियुक्ति उत्तराखण्ड शासन के सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 252 XXII /2005-1 (20) 2005 दिनांक 3 अक्टूबर, 2005 द्वारा की गयी।
- इसके उपरांत राज्य सरकार द्वारा माह नवम्बर, 2009 में अधिसूचना संख्या 780 /XXX(13)G /2009 दिनांक 11 नवम्बर, 2009 के द्वारा श्री विनोद नौटियाल को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया।

आयोग एवं प्रदेश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डॉ. आर. एस. टोलिया अपने कार्यकाल के पाँच वर्षों को पूर्ण कर

दिनांक 17 / 10 / 10 को सेवानिवृत्त हुये जिसके उपरांत दिनांक 19 / 10 / 10 को राज्य सरकार द्वारा श्री एन. एस. नपलच्छाल को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। दिनांक 19 / 10 / 10 को ही राज्य सरकार द्वारा श्री अनिल कुमार शर्मा तथा श्री प्रभात ड्बराल को भी राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान की गयी।

- उत्तराखण्ड सूचना आयोग के संरचनात्मक ढांचे के अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रस्तर 15 अध्याय 4 में निहित प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड शासन के सूचना अनुभाग की अधिसूचना संख्या 204 /XXII /2005 दिनांक 19 नवम्बर, 2005 के द्वारा निम्नलिखित अस्थाई पदों का सृजन किया गया। जिन्हें शासनादेश सं. 13 /xxxii(13)/2005 दिनांक 18 जनवरी 2010 के द्वारा स्थाई किया गया। इसके अतिरिक्त शासनादेश सं. 694 दि. 25.02.10 तथा शासनादेश सं. 280 दि. 01.03.2011 के द्वारा सृजित अस्थाई पदों के अनुसार आयोग हेतु कुल स्वीकृत पदों की स्थिति निम्नवत है।

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	सचिव	01 पद	भारतीय प्रशासनिक सेवा/ प्रान्तीय सेवा के अधिकारी
2.	उप सचिव	01 पद	15600—39100
3.	विधि अधिकारी	01 पद	आउट सोर्सिंग
4.	जन सम्पर्क अधिकारी	01 पद	9300—34800
5.	लेखाकार	01 पद	9300—34800
6.	समीक्षा अधिकारी	02 पद	9300—34800
7.	सहायक समीक्षा अधिकारी	04 पद	5200—20200
8.	निजी सचिव सह कन्सोल आपरेटर	04 पद	9300—34800
9.	वैयक्तिक सहायक	02 पद	9300—34800
10.	आशुलिपिक / सह डाटा एन्ट्री आपरेटर	07 पद	5200—20200 (04 पद उपनल द्वारा)
11.	कम्प्यूटर आपरेटर	04 पद	उपनल द्वारा
12.	चालक	06 पद	उपनल द्वारा
13.	अनुसेवक	09 पद	उपनल द्वारा
14.	सुरक्षा गार्ड	04 पद	उपनल द्वारा

उपरोक्त पदों के सापेक्ष में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यवस्था उत्तराखण्ड राज्य के शासकीय विभागों तथा उपनल, देहरादून के माध्यम से की गई है।

5. उत्तराखण्ड शासन के शासनदेश संख्या 307 / XXII / 2005-1 (20) 2005 दिनांक 13 दिसम्बर, 2005 के द्वारा उत्तराखण्ड सूचना आयोग का मुख्यालय देहरादून में स्थापित किया गया जिसका कार्यालय वर्तमान में सी-30, सेक्टर -1, डिफैन्स कालोनी, देहरादून में किराये के भवन में स्थित है।

अन्तर्गत आयोग में लोक प्राधिकारी स्तर से नियुक्त अपीलीय अधिकारी के विनिश्चय पर द्वितीय अपील पर सुनवाई एवं आदेश देना।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 20 के अन्तर्गत किसी शिकायत अथवा अपील का विनिश्चय करते समय लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध दण्ड आरोपित करना एवं उनके विरुद्ध यथा स्थिति अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति करना।
4. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 (1) के अन्तर्गत अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना उसे विधान सभा के पटल पर रखने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करना।
5. लोक प्राधिकारियों से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 (5) के निहित शक्तियों के अधीन, अधिनियम की भावना के अनुकूल कार्य करने की अपेक्षा करना एवं उन्हें इस संबंध में विनिर्दिष्ट करना।

कृत्य और कर्तव्य :

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत जन सामान्य सूचना के अनुरोध पर प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करना।
2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (3) के



मैनुअल संख्या : 2 [(धारा 4(1)(ख)(ii)]

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

क्र.सं.	पदनाम	शक्तियां और कर्तव्य
1.	मुख्य सूचना आयुक्त	<p>उत्तराखण्ड सूचना आयोग के कार्यों का सामान्य प्रशासन एवं नियंत्रण।</p> <p>उत्तराखण्ड सूचना आयोग में स्वीकृत श्रेणी 'ग' एवं 'घ' के पदों पर नियुक्ति का पूर्ण अधिकार।</p> <p>सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना में प्राप्त होने वाली अपीलों तथा शिकायतों का प्रबंधन तथा उन पर निर्णय लेते हुये आदेश देना। (अधिनियम की धारा 18 एवं 19)</p> <p>सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में उत्तराखण्ड सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कराना तथा उसे विधान सभा के पटल पर रखने हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करना। (धारा 25)</p>
2	राज्य सूचना आयुक्त	<p>सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग में प्राप्त होने वाली अपीलों तथा शिकायतों का प्रबंधन तथा उन पर निर्णय लेते हुये आदेश देना। (अधिनियम की धारा 18 एवं 19)</p>
3.	सचिव	<p>उत्तराखण्ड सूचना आयोग का प्रशासनिक नियंत्रण।</p> <p>मुख्य सूचना आयुक्त के निर्देश पर आयोग के महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पादित कराना।</p> <p>मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा जारी किये गये निदेशों को राज्य के लोक प्राधिकारियों को जारी करना।</p> <p>उत्तराखण्ड सूचना आयोग के प्रबंधन के लिये समय—समय पर राज्य सरकार से पत्राचार तथा विचार विमर्श करना।</p> <p>मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा आयोग को प्राप्त अपीलों तथा शिकायतों पर लिये गये निर्णयों को रजिस्ट्रार के रूप में वादी तथा प्रतिवादी को निर्गत करना।</p> <p>लोक प्राधिकारियों के साथ अधिनियम के प्राविधानों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु समीक्षा बैठकें आयोजित करना।</p>
4	उप सचिव	<p>उत्तराखण्ड सूचना आयोग के प्रबंधन के लिये राज्य सरकार से प्राप्त बजट की धनराशि का आहरण—वितरण करना।</p> <p>उत्तराखण्ड सूचना आयोग हेतु वार्षिक बजट तैयार कराना एवं नोडल विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन) के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित करना।</p>

		<p>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आयोग के विभागीय अपीलीय अधिकारी का कार्य करना।</p> <p>आयोग में प्राप्त होने वाले पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को मार्गदर्शन एवं सुझाव देना।</p> <p>मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्तों तथा सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों का परिपालन करना।</p> <p>राज्य के लोक प्राधिकारियों द्वारा तैयार मैनुअलों का अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से जांच करने के उपरान्त आयोग स्तर से अनुमोदित कराने की कार्यवाही करना।</p>
5	विधि अधिकारी	<p>आयोग को प्राप्त होने वाली अपील एवं शिकायतों की जाँच करना।</p> <p>अपीलों एवं शिकायतों को जाँच के उपरान्त तैयार कर मुख्य सूचना आयुक्त को प्रस्तुत करना।</p> <p>विधि विषयक कार्यों का सम्पादन।</p> <p>अन्य कार्य।</p>
6	निजी सचिव सह कन्सोल आपरेटर	मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त के निजी सचिव के कार्य
7	जन सम्पर्क अधिकारी	<p>मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दिये गये समस्त कार्य।</p> <p>आयोग की वैबसाईट तथा एम.आई.एस. डाटा को अद्यावधिक रखना।</p> <p>आयोग के डाटा सर्वर का व्यवस्थित करना।</p> <p>मोबाइल वीडियों कॉन्फैसिंग सत्रों से संबंधित कार्य पूर्ण करना।</p> <p>आयोग के प्रकाशनों पर स्वीकृति एवं अन्य कार्यवाही।</p> <p>विभिन्न मासिक प्रगति विवरण तैयार करना।</p>
8	समीक्षा अधिकारी	<p>द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की वाद सूची तैयार करना।</p> <p>द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों की मिसिलबंद पंजिका एवं न्यायालय पंजिकाओं को अधुनान्त करना।</p> <p>लोक प्राधिकारियों से प्राप्त मैनुअलों की समीक्षा।</p> <p>विभिन्न अपीलों/शिकायतों में अधिनियम की धारा 25(5) के अन्तर्गत मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुश्रवण करना।</p> <p>मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त/सचिव/उपसचिव द्वारा दिये गये कार्य।</p> <p>शिकायत/अपील से संबंधित पत्रावलियों का रख-रखाव।</p> <p>अधिष्ठान संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण।</p>
9	सहायक समीक्षा अधिकारी	<p>द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के नोटिस तैयार करना।</p> <p>लोक प्राधिकारियों से प्राप्त मैनुअलों की समीक्षा में समीक्षा अधिकारी का सहयोग करना।</p>

10	आशुलिपिक / सह डाटा एन्ट्री आपरेटर	अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई पर श्रुतलेख लेना तथा उनका प्रेषण सुनिश्चित करना सचिव / उपसचिव द्वारा दिये गये कार्य.
11	लेखाकार	बिलों को तैयार कर कोषागार से भुगतान की कार्यवाही आयोग में लेखा संबंधी समस्त कार्य. बजट सम्बन्धी कार्य का पर्यवेक्षण. समस्त वैयक्तिक पत्रावलियों, सर्विस बुकों का रख—रखाव एवं सचिव के निर्देशन में कार्य करना. आयकर पत्रावली का रख—रखाव. आयोग के लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्यों / दायित्वों का पालन
12	कम्प्यूटर आपरेटर	कम्प्यूटर टंकण / डाक प्राप्ति / डाक प्रेषण सम्बन्धी कार्य
13	चालक	वाहन चलाना तथा वाहन का रख—रखाव
14	अनुसेवक	कार्यालय में अधिकारी / कर्मचारी के निर्देशानुसार कार्य करना.



मैनुअल संख्या : 3 [धारा 4(1)(ख)(iii)]

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया
जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।

- वर्तमान में उत्तराखण्ड सूचना आयोग चार सदस्यीय आयोग है अतः समस्त प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों का निस्तारण आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एवं तीन राज्य सूचना आयुक्तों के द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 13571 दिनांक 23/12/11 के द्वारा किये गये विभागवार कार्य विभाजन के अन्तर्गत किया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों पर सम्बन्धित पक्ष को नोटिस भेजने का कार्य उत्तराखण्ड सूचना आयोग के उपसचिव द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत किया जाता है।
- सर्वप्रथम नोटिस के द्वारा सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी से उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायत/अपील की प्रति भेजते हुये 2/3 सप्ताह के भीतर शिकायत तथा अपील पर उनकी आख्या प्राप्त की जाती है तथा इसी अवधि में सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी से यह भी अपेक्षा की जाती है कि यदि वे अगली सुनवाई की तिथि से पूर्व शिकायतकर्ता/अपीलार्थी को अपने स्तर से सूचना दे सकते हैं तो सूचना उनको उपलब्ध कराते हुये आयोग को भी अवगत करायें।
- अपीलों/शिकायतों की सुनवाई हेतु यह बाध्यता नहीं रखी गई है कि शिकायतकर्ता/अपीलार्थी आयोग में

सुनवाई के लिये स्वयं उपस्थित हों। आयोग में प्राप्त शिकायतों एवं अपीलों पर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी स्तर से आख्या प्राप्त की जाती है। उससे सन्तुष्ट न होने पर शिकायत/अपील की सुनवाई हेतु अग्रेतर तिथियां आवश्यकता अनुसार निश्चित की जाती है। आयोग द्वारा शिकायतों एवं अपील में पारित अन्तरिम एवं अंतिम आदेशों की प्रतियां सम्बन्धित पक्षों को प्रेषित की जाती हैं।

- यदि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18(1) में नोटिस जारी होने के पश्चात शिकायतकर्ता की शिकायत का निदान लोक सूचना अधिकारी स्तर से नहीं कर दिया जाता है तो उक्त शिकायत की अग्रिम जांच हेतु अधिनियम की धारा 18(2) में पुनः सम्बन्धित पक्ष को नोटिस जारी कर दिया जाता है तथा शिकायत पर अधिनियम में दी गयी 18(2) की प्रक्रियाओं के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाती है।
- अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया में उत्तराखण्ड शासन के सूचना अनुभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 305/XXII/2005-9(33)2005 दिनांक 13 दिसम्बर, 2005 द्वारा प्रख्यापित नियमावली—‘राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम, 2005’, के अनुसार कार्यवाही सम्पन्न की जाती है।

क्र. सं.	आयोग के कार्यों का विवरण	निर्णय लेने की प्रक्रिया आयोग स्तर पर	प्रक्रिया हेतु उत्तरदायी अधिकारी
1.	धारा 18 के अन्तर्गत शिकायत	<p>स्तर 1. सम्बन्धित लोक प्राधिकारी से 2 / 3 सप्ताह के भीतर शिकायत पर आख्या प्राप्त करना।</p> <p>स्तर 2. प्राप्त आख्या का विश्लेषण एवं अग्रेतर कार्यवाही।</p> <p>स्तर 3. आख्या संतोषजनक न होने पर धारा 18 (2) में अग्रेतर जांच।</p> <p>स्तर 4. जांच में साक्ष्य का विश्लेषण एवं अन्तिम आदेश पारित करना।</p>	<p>स्तर 1. सचिव सूचना आयोग द्वारा सम्बन्धित पक्ष को नोटिस भेजकर आख्या प्राप्त करना।</p> <p>स्तर 2. सचिव द्वारा धारा 18(2) का नोटिस सम्बन्धित पक्षों को निर्गत कराना।</p> <p>स्तर 3. आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रतियों को सचिव/उप सचिव द्वारा संबंधित को भेजना।</p>
2.	धारा 19(3) के अन्तर्गत अपील	<p>स्तर 1. सम्बन्धित पक्ष को नोटिस भेजकर 2 / 3 सप्ताह के अन्दर उनसे आख्या प्राप्त करना।</p> <p>स्तर 2. लोक प्राधिकारी/लोक सूचना अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि के साथ प्रारम्भिक सुनवाई। यदि आवश्यक हुआ तो अंतरिम आदेश पारित करना।</p> <p>स्तर 3. प्राप्त साक्ष्य एवं अभिलेखों के निरीक्षण उपरांत अंतिम आदेश पारित करना।</p>	<p>स्तर 1. सचिव, सूचना आयोग द्वारा नोटिस भेजना।</p> <p>स्तर 2. आयोग द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को सम्बन्धित पक्ष को सचिव द्वारा निर्गत करना।</p> <p>स्तर 3. आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रतियों को सचिव/उप सचिव द्वारा संबंधित को भेजना।</p>
3.	धारा 25(3) के अन्तर्गत वार्षिक प्रगति तैयार करना	<p>स्तर 1. शासन/निदेशालय स्तर के लोक प्राधिकारियों से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक मासिक प्रतिवेदन प्राप्त करना।</p> <p>स्तर 2. उक्त प्राप्त मासिक प्रतिवेदनों के आधार पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।</p>	<p>स्तर 1. सचिव द्वारा ऐसे लोक प्राधिकारियों को चिन्हित करना, जिनसे मासिक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ एवं उन्हें अनुस्मारक प्रेषित करना।</p> <p>स्तर 2. सचिव द्वारा नोडल विभाग के माध्यम से राज्य विधानसभा के पटल पर रखने हेतु उपलब्ध कराना।</p>
4.	आयोग का सामान्य प्रशासन		सचिव, उप सचिव द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार



उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी-30 डिफँस कालोनी, देहरादून

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या 8986 / उ.सू.आ. / 2010 दिनांक 25 / 10 / 10 के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों के सम्यक संपादन हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15(4) में निहित शक्तियों के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तराखण्ड सूचना आयोग के विभिन्न सूचना आयुक्तों के मध्य निम्नवत् कार्य विभाजन किया जाता है :

- श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त निम्नलिखित विभागों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

गृह एवं कारागार
आपदा प्रबंधन
सामान्य प्रशासन
राज्य संपत्ति
सूचना

सतर्कता
वित्त
अभियोजन
राज्य पुनर्गठन
पेयजल

राजस्व
सचिवालय प्रशासन
प्रोटोकॉल
नियोजन
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

श्री विनोद नौटियाल उपरोक्त सभी विभागों से संबंधित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के संबंध में भी उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे.

- श्री अनिल कुमार शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त निम्नलिखित विभागों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

उच्च शिक्षा
संस्कृत शिक्षा
युवा कल्याण
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास
अल्प संख्यक कल्याण
अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास

विद्यालयी एवं माध्यमिक शिक्षा
संस्कृति
धर्मस्व
आयुष
समाज कल्याण
विकलांग कल्याण
श्रम एवं सेवायोजन

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण
खेलकूद
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
चिकित्सा शिक्षा
सैनिक कल्याण
पिछड़ा वर्ग

श्री अनिल कुमार शर्मा उपरोक्त सभी विभागों से संबंधित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के संबंध में भी उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे.

- श्री प्रभात ड्बराल, राज्य सूचना आयुक्त निम्नलिखित विभागों के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(3)

के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा धारा 18 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे :

वन एवं पर्यावरण	ग्राम्य विकास
ग्रामीण अभियंत्रण	लघु सिंचाई
कृषि, कृषि विपणन, कृषि शिक्षा	सहकारिता
मतस्थ पालन	पशुपालन
न्याय	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उच्च न्यायालय	विधायी, संसदीय कार्य एवं भाषा

पंचायती राज
जलागम प्रबंध
गन्ना विकास
दुध विकास
रेशम

श्री प्रभात ड्बराल उपरोक्त सभी विभागों से संबंधित निगमों, प्राधिकरणों, समितियों, संस्थाओं, परियोजनाओं, बोर्डों, आयोगों आदि के संबंध में भी उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण करेंगे.

4. **मुख्य सूचना आयुक्त** के द्वारा उपरोक्त को छोड़कर अन्य समस्त विभागों (लोक निर्माण, पर्यटन, उद्योग, सूचना प्रौद्यौगिकी, आवास, नगर विकास, नागरिक उद्ययन, ऊर्जा, सिंचाई, अपारम्परिक ऊर्जा, परिवहन, चीनी उद्योग, बायो टैक्नोलॉजी) तथा श्री राज्यपाल सचिवालय, मुख्य मंत्री कार्यालय, विधान सभा, मुख्य सचिव कार्यालय आदि के संबंध में उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई एवं उनका निस्तारण किया जायेगा।

उपरोक्त व्यवस्था 01 जनवरी, 2012 से लागू होगी।

ह०

एन. एस. नपलच्याल

मुख्य सूचना आयुक्त

संख्या : 13571 / उ.सू.आ./ 2011

दिनांक : 23 / 12 / 2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
- श्री अनिल कुमार शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
- श्री प्रभात ड्बराल, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
- सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग
- निबंधक / उप सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
- निजी सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
- विधि अधिकारी, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
- गार्ड फाईल

आज्ञा से,

उप सचिव

मैनुअल संख्या : 4 [धारा 4(1)(ख)(iv)]

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

1. यद्यपि आयोग द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा कोई मापमान निश्चित नहीं किये गये हैं, परन्तु आयोग के प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों को तीव्र गति से सम्पादित करने हेतु समय—समय पर बैठकें आयोजित कर दिशा निर्देश दिये जाते हैं।
2. आयोग अपने महत्वपूर्ण निर्णयों को संकल्पों के माध्यम से क्रियान्वित करता है।
3. वर्तमान में चार सदस्यीय आयोग द्वारा अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई सप्ताह में प्रति सोमवार, से शुक्रवार तक की तिथियों में की जा रही हैं तथा सुनवायी हेतु जो शिकायतों एवं अपीलों पर तिथियां दी जाती हैं, उनकी सूची सुनवाई की तिथि से एक दिन पूर्व आयोग कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी जाती है।
4. आयोग में योजित द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई की तिथिवार सूचना (cause list) आयोग की वेबसाइट <http://uic.gov.in> में भी अपलोड तथा निरंतर अद्यावधिक की जाती है जिसे आयोग की वेबसाइट में कभी भी देखा जा सकता है अथवा उसे डाउनलोड भी किया जा सकता है।



मैनुअल संख्या : 5 [धारा 4(1)(ख)(v)]

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों का निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख.

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये जा रहे हैं नियम, विनियम, निर्देशिका का ब्यौरा:

क्रम संख्या	शासनादेश संख्या	संक्षिप्त विवरण
1.	भारत का राजपत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2004 / 21	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
2.	266 / xxii / 2005-9 (31) 2005 दिनांक 13 अक्टूबर, 2005	अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) तथा (ग) के अन्तर्गत फीस एवं विनियम, 2005
3.	165 / XXXII (13)G-2 (2) / 2006 / दिनांक 31 मार्च, 2006	अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख)
4.	1 / XXII(7) / 2005 -9	आवेदन शुल्क हेतु प्रपत्र 385 का निर्धारण
5.	305 / XXII / 2005-9 (33)2005 दिनांक 13 दिसम्बर, 2005	राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियम, 2005
6.	146 / सू0 / XXVI (13)G- / 2006 दिनांक 22 मार्च 2006	सूचना के अनुरोधों पर समुचित कार्यवाही हेतु प्रक्रिया सम्बन्धी दिशा निर्देश
7.	सं0 2150 / उ.सू.आ. / दिनांक 24.08.2006.	जन सामान्य तक सूचनाओं एवं अभिलेखों की पहुँच
8.	65 / उ.सू.आ. / मु.सु.आ. / 2005 दिनांक 06.12.2005	अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के अन्तर्गत स्वतः प्रकटीकरण



मैनुअल संख्या : 6 [धारा 4(1)(ख)(vi)]

ऐसे दस्तावेजों के, जो उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण.

क्र.सं.	प्रवर्ग	दस्तावेज अभिलेख
1.	शिकायत (सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18(1) तथा 18(2) के अधीन).	<ol style="list-style-type: none"> मिसिलबन्द पंजिका. केस डायरी 18(1). केस डायरी 18(2). शिकायतों की पृथक—पृथक पत्रावलियां.
2.	अपील (सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 19(3) के अधीन).	<ol style="list-style-type: none"> मिसिलबन्द पंजिका केस डायरी 19(3). अपीलों की पृथक—पृथक पत्रावलियां.
3.	लोक सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.	<ol style="list-style-type: none"> अनुरोधों के पंजीकरण की पंजिका. विभागीय स्तर पर अपील के अनुरोधों के पंजीकरण की पंजिका. अनुरोधों के अग्रसारण की पत्रावली.
4.	प्रशासनिक	<ol style="list-style-type: none"> मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देश पत्रावली. सचिव द्वारा दिये गये निर्देश पत्रावली नोडल विभाग से पत्र व्यवहार पत्रावली. आयोग की विभागीय बैंठकों के कार्यवृत्त की पंजिका. शासन के प्रत्येक विभाग से पत्र व्यवहार सम्बन्धी पृथक—पृथक पत्रावली.
5.	स्थापना	<ol style="list-style-type: none"> आयोग में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावलियां. आयोग में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका. स्थापना सम्बन्धी पत्रावलियां.
6.	लेखा	<ol style="list-style-type: none"> कैश बुक. कोषागर चैक पंजिका. भुगतान पंजिका. प्रासंगिक व्यय सम्बन्धी पंजिका. इलेवन—सी पंजिका. वेतन बिल पंजिका. स्टॉक बुक पंजिका.

		<ul style="list-style-type: none"> 8. कोषागार पंजिका. 9. सामान्य भविष्य निधि पासबुक. 10. सामान्य भविष्य निधि लेजर. 11. क्रय सम्बन्धी पत्रावलियां. 12. कोषागार से पत्र व्यवहार पत्रावलियां. 13. बजट पत्रावली. 14. व्यय विवरण पंजिका. 15. महालेखाकार से व्यय मिलान पत्रावली. 16. महालेखाकार ऑडिट पत्रावली
7.	सामान्य	<ul style="list-style-type: none"> 1. पत्र प्राप्ति पंजिका. 2. पत्र निर्गमन पंजिका. 3. समस्त लोक प्राधिकारियों से पत्र व्यवहार सम्बन्धी पत्रावलियां. 4. प्रकाशन सम्बन्धी पत्रावली.



मैनुअल संख्या : 7 [धारा 4(1)(ख)(vii)]

किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं।

आयोग का मुख्य कार्य जन सामान्य तक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की पहुँच बनाना है। आयोग द्वारा समय-समय पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्बन्ध में विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित गोष्ठियों में भाग लिया जाता है एवं इन विचार-विमर्श गोष्ठियों में जनता के प्रश्नों का सीधे उत्तर दिया जाता है।

क्षेत्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से जन सामान्य की सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से समन्वित प्रश्नों का सामाधान भी किया जाता है।



मैनुअल संख्या : 8 [धारा 4(1)(ख)(viii)]

ऐसे बोर्डों, परिषदों समितियों और निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण.

आयोग स्तर पर सलाह देने के प्रयोजन के लिये बोर्ड, परिषदों, समितियों का गठन नहीं किया गया है.



मैनुअल संख्या : ९ [धारा 4(1)(ख)(ix)]

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के आयुक्तों, अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	दूरभाष नम्बर	ई-मेल
1.	श्री एन०एस०नपलच्याल, मुख्य सूचना आयुक्त	0135-2666778 (कार्यालय) 0135-2666779 (कार्यालय) मोबाइल नं.- 9412992127	nripnapalchyal@hotmail.com
2	श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त	0135-2666778 (कार्यालय) 0135-2666779 (कार्यालय) 1035-2675984(आवास)	vnautiyal25@gmail.com
3	श्री अनिल कुमार शर्मा, राज्य सूचना आयुक्त	0135-2666778 (कार्यालय) 0135-2666779 (कार्यालय) मोबाइल 9412050831	aks.sic@gmail.com
4	श्री प्रभात ड्बराल, राज्य सूचना आयुक्त	0135-2666778 (कार्यालय) 0135-2666779 (कार्यालय) मोबाइल 9412050832	p_dabral@hotmail.com
5	श्री एम. एस. कुण्डरा, सचिव (31 / 05 / 2012 तक)	0135-2666778 (कार्यालय) 0135-2666779 (कार्यालय)	uicddn@gmail.com
6	श्री विनोद कुमार सुमन, सचिव (01 / 06 / 2012 से)	0135-2666778 (कार्यालय) 0135-2666779 (कार्यालय)	uicddn@gmail.com
7	डा. शुचिस्मिता सेनगुप्ता पाण्डेय, उपसचिव (प्रतिनियुक्ति)	0135-2728762 (आवास)	uicddn@gmail.com
8	श्री त्रेपन सिंह बिष्ट विधि अधिकारी (संविदा)	0135-2666778 (कार्यालय) 0135-2666779 (कार्यालय)	uicddn@gmail.com
9	श्री राजेश नैथानी निजी सचिव / जन सम्पर्क अधिकारी (संविदा)	0135-2666778 (कार्यालय) 0135-2666779 (कार्यालय) 9412052000	naithani.rajesh@gmail.com
10	श्री मनमोहन नैथानी, लेखाकार (प्रतिनियुक्ति)	9410393020	robbynaithani@rediffmail.com
11	श्रीमती हीरा रावत, समीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	9410393021	
12	श्री उमेश चन्द्र सिंह, सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	9410393022	
13	श्री सौरभ कुमार सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)		

14	श्री भूपेन्द्र चन्द्र पपनै सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	9410394421	
15	श्री जितेन्द्र पाण्डे, आशुलिपिक	9917533343	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
16	श्री नरेश बिजलवाण, आशुलिपिक	9410592369	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
17	कु0 नीतू रावत, आशुलिपिक		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
18	कु0 नीतू भण्डारी, आशुलिपिक		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
19	श्री कविशकर, आशुलिपिक		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
20	श्रीमती रजनी भण्डारी, कम्प्यूटर आपरेटर		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
21	सुश्री पूनम डबराल, कम्प्यूटर आपरेटर (25 / 11 / 2012 तक)		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
22	श्री शैलेन्द्र हटवाल, कम्प्यूटर आपरेटर	9719805041	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम
23	श्री नरेन्द्र गनघरिया, कम्प्यूटर आपरेटर		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
24	कु0 आशा घिल्डियाल, कम्प्यूटर आपरेटर		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
25	श्रीमती अमृता गुरुंग, कम्प्यूटर आपरेटर		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
26	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, सुरक्षा गार्ड		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
27	श्री डबल सिंह सुरक्षा गार्ड		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
28	श्री वासुदेव पंथी, सुरक्षा गार्ड		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
29	श्री राजेन्द्र सिंह राणा, सुरक्षा गार्ड		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
30	श्री फकीर सिंह, अनुसेवक		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
31	श्री मनोज कुमार, अनुसेवक		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
32	श्री मनोज सिंह, डाक रनर		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
33	श्री रवेन्द्र सिंह, अनुसेवक		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
34	श्री प्रदीप खत्री, अनुसेवक		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
35	श्री हरपाल सिंह अनुसेवक		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
36	श्री सुन्दर सिंह धामी अनुसेवक		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
37	श्री सुरेन्द्र पाल अनुसेवक		आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से

38	श्री विपिन कुमार, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
39	श्री नागेन्द्र भट्ट, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
40	श्री धारा सिंह, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
41	श्री बृजमोहन सिंह, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से
42	श्री नन्दू सिंह, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से



मैनुअल संख्या : 10 [धारा 4(1)(ख)(x)]

उत्तराखण्ड सूचना आयोग के प्रत्येक आयुक्त, अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनिमयों में यथा उपबोधित हो.

सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 16(5) के अनुसार संदेश वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की वही होगी, जो भारत निर्वाचन आयोग के किसी निर्वाचन आयुक्त की है,

(ख) राज्य सूचना आयुक्त की वही होगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की है,

परन्तु यदि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न, प्राप्त कर रहा है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उसके वेतन में से उस पेंशन की रकम को, जिसके अन्तर्गत पेंशन का ऐसा भाग जो संराशिकृत फायदों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जायेगा।

परन्तु यह और कि जहाँ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है वहाँ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जायेगी।

परन्तु यह और कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात उनके लिये अलाभकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।



उत्तराखण्ड सूचना आयोग के आयुक्तों, अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	वेतनमान (₹.)	वर्तमान कुल वेतन (₹.)
1.	श्री एन. एस. नपलच्चाल, मुख्य सूचना आयुक्त	90000.00 (नियत)	50000.00 + 40000.00 (पेंशन) + D.A=188340
2	श्री विनोद नौटियाल, राज्य सूचना आयुक्त	80000.00 (नियत)	80000.00+ D.A=154140
3	श्री अनिल कुमार शर्मा राज्य सूचना आयुक्त	80000.00 (नियत)	80000.00+ D.A=154140
4	श्री प्रभात डबराल राज्य सूचना आयुक्त	80000.00 (नियत)	80000.00+ D.A=154140
5	श्री एम. एस. कुण्डरा, सचिव	37400—67000	95756.00
6	डा. शुचिस्मिता सेनगुप्ता पाण्डेय, उपसचिव	15600 — 39100	59298.00
7	श्री त्रेपन सिंह बिष्ट विधि अधिकारी	नियत वेतनमान	27956.00
8	श्री राजेश नैथानी, निजी सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त / जन सम्पर्क अधिकारी	9300 — 34800	25767.00
9	श्री मनमोहन नैथानी, लेखाकार	9300—34800	33501.00
10	श्रीमती हीरा रावत, समीक्षा अधिकारी	9300—34800	33457.00
11.	श्री उमेश चन्द्र सिंह, सहायक समीक्षा अधिकारी	5200—20200	19011.00
12.	श्री सौरभ कुमार, सहायक समीक्षा अधिकारी	5200—20200	21222.00
13.	श्री भूपेन्द्र चन्द्र पपनै, सहायक समीक्षा अधिकारी	5200—20200	21670.00
14.	श्री जितेन्द्र पाण्डे, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	12514.00
15	श्री नरेश बिजलवाण, आशुलिपिक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	12514.00
16	सुश्री नीतू रावत आशुलेखक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	12514.00

17	सुश्री नीतू भण्डारी आशुलेखक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	12514.00
18.	श्री कविशंकर, आशुलेखक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	12514.00
19.	श्रीमती रजनी भण्डारी, कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9945.00
20.	सुश्री पूनम डबराल, कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9945.00
21	श्री शैलेन्द्र हटवाल, कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9945.00
22	श्री नरेन्द्र गनघरिया, कम्प्यूटर आपरेटर,	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9945.00
23	सुश्री आशा घिल्डयाल, कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9945.00
24.	श्रीमती अमृता गुरुंग, कम्प्यूटर आपरेटर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9945.00
25.	श्री सुरेन्द्र सिंह रावत, सुरक्षा गार्ड	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9945.00
26.	श्री डबल सिंह, सुरक्षा गार्ड	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9945.00
27	श्री राजेन्द्र सिंह राणा, सुरक्षा गार्ड	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9945.00
28	श्री वासुदेव पंथी, सुरक्षा गार्ड	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	9945.00
29	श्री फकीर सिंह, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	8414.00
30	श्री मनोज कुमार, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	8414.00
31	श्री मनोज सिंह, डाक रनर	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	8414.00
32	श्री रवेन्द्र सिंह अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	8414.00

33	श्री प्रदीप खत्री, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	8414.00
34	श्री सुन्दर सिंह धामी, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	8414.00
35	श्री हरपाल सिंह अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	8414.00
36	श्री सुरेन्द्र पाल, अनुसेवक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	8414.00
37	श्री विपिन कुमार, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	14420.00
38	श्री नागेन्द्र भट्ट, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	14420.00
39	श्री नन्दू सिंह, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	11203.00
40	श्री धारा सिंह, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	14420.00
41	श्री बृजमोहन सिंह, वाहन चालक	आउटसोर्सिंग उपनल के माध्यम से	14420.00



मैनुअल संख्या : 11 [धारा 4(1)(ख)(xi)]

उत्तराखण्ड सूचना आयोग की सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।

उत्तराखण्ड शासन में सामान्य प्रशासन विभाग उत्तराखण्ड सूचना आयोग का नोडल विभाग है। उत्तराखण्ड सूचना आयोग को वार्षिक बजट उत्तराखण्ड शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से प्राप्त होता है।

आयोग में आहरण वितरण का कार्य उप सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2012-13 हेतु आयोग को प्राप्त बजट का विवरण संलग्न है।

बजट आवंटन विवरण वर्ष - 20122013

Secretary, GAD (S017)

आवंटन पर संख्या - 779 /xxxI(13)G/2013

अनुदान संख्या - 006

अलोटमेंट आई फ़ि - S1303060108

आवंटन पर दिनांक - 08-Mar-2013

HOD Name - Secretary State Information Commission (4661)

1. सेक्युरिटी -	2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	00 -
	800 - अन्य व्यय	
	00 - सूचना आयोग की स्थापना	13 - सूचना आयोग की स्थापना

मानक नंद का नाम	पूर्ण में जारी	Non Plan Voted	
		बत्तेमान में जारी	व्यय
01 - बैज्ञ	5500000	0	5500000
02 - मजदूरी	230000	0	230000
03 - विद्युत सत्ता	3740000	0	3740000
04 - बाजार व्यय	140000	0	140000
05 - स्थानान्तरण बाजार व्यय	20000	100000	120000
06 - बन्ध खर्च	600000	80000	680000
07 - सामग्री	50000	0	50000
08 - कार्यालय व्यय	850000	230000	1080000
09 - विद्युत देव	220000	0	220000
10 - जलवाय / जल प्रयोग	20000	0	20000
11 - नियन्त्रण सामग्री और कारोगी	170000	0	170000
12 - आधिकारिक फ़ॉर्म्युलर तथा उपकरण	10296000	0	10296000
13 - ट्रेनिंग एवं व्यय	280000	290000	570000
14 - कार्यालय प्रयोगार्थ स्थान कार	1000	0	1000
15 - लाइसेंस वा अनुमति और रेट	1400000	0	1400000
16 - स्थानान्तरण तथा विभिन्न शैक्षणिक	3000000	1165000	4165000
17 - नियन्त्रण, उपकरण और कारोगी	1075000	0	1075000
18 - प्रकाशन	120000	0	120000
19 - विद्यापत्र, किसी भी विद्यापत्र	10000	0	10000
20 - आर्थिक व्यय विवरण भवन एवं	150000	0	150000
21 - विकास व्यय प्रतिवृत्ति	100000	0	100000
22 - बन्ध व्यय	600000	0	600000
23 - प्रदिवान व्यय	100000	0	100000
24 - जलवाय व्यय	100000	0	100000
25 - काम्यादान व्यवस्था/वातावरण	220000	0	220000
	28892000	1865000	30857000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes -

1865000

मैनुअल संख्या : 12 [धारा 4(1)(ख)(xiii)]

सहायक कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित हैं।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग में, सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन से सम्बन्धित कोई कार्यक्रम सम्पादित नहीं किए जाते हैं।



मैनुअल संख्या : 13 [धारा 4(1)(ख)(xiii)]

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या
प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ

उत्तराखण्ड सूचना आयोग में ऐसे कार्यक्रम सम्पादित नहीं किये जाते हैं।



मैनुअल संख्या : 14 [धारा 4(1)(ख)(xiv)]

**किसी इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्योरे,
जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो**

क्रम संख्या	अभिलेख का प्रकार	किस इलैक्ट्रानिक रूप में अभिलेख रखे गये हैं	अभिलेख प्राप्त करने का माध्यम
1.	उत्तराखण्ड राज्य के लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों की सूची	वेबसाइट uic.gov.in पर	इंटरनेट
2.	आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का सूची	वेबसाइट uic.gov.in पर	इंटरनेट
3.	आयोग में योजित द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की दैनिक वाद सूचियां	वेबसाइट uic.gov.in पर	इंटरनेट
4.	आयोग में प्राप्त द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों का सांख्यिकी विवरण	वेबसाइट uic.gov.in पर	इंटरनेट
5.	द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों में पारित अंतिम आदेशों की पी. डी.एफ. प्रतियां	वेबसाइट uic.gov.in पर	इंटरनेट
6.	उत्तराखण्ड सूचना आयोग का मैनुअल	वेबसाइट uic.gov.in पर सी0डी0 के रूप में	इंटरनेट पर्सनल कम्प्यूटर के प्रयोग से

मैनुअल संख्या : 15 [धारा 4(1)(ख)(xv)]

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे समिलित हैं।

1. नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिये आयोग कार्यालय में उत्तराखण्ड राज्य के लोक प्राधिकारियों से सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत तैयार किये गये मैनुअल उपलब्ध हैं।
2. आयोग कार्यालय जन सामान्य के लिये प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार, राजकीय अवकाश को छोड़कर) खुला रहता है तथा आयोग के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से तथा दूरभाष पर इस दौरान अधिनियम के प्रयोग से संबंधित नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उपलब्ध रहते हैं।
3. राज्य सूचना आयोग में आम नागरिक किसी भी लोक प्राधिकारी स्तर पर रखी गई सूचना हेतु निर्धारित फीस पर आवेदन कर सकता है। उत्तराखण्ड सूचना आयोग के लोक सूचना अधिकारी, सूचना हेतु प्राप्त ऐसे अनुरोधों को संबंधित लोक प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 6(3) में शीघ्रता से अंतरित करते हैं।



मैनुअल संख्या : 16 [धारा 4(1)(ख)(xvi)]

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ

लोक सूचना अधिकारी.

श्री मनमोहन नैथानी,
लेखाकार
उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सी-30, सेक्टर-1, डिफेन्स कालोनी,
देहरादून.
दूरभाष न0 0135-2666778, 2666779 (कार्यालय)
मोबाइल न0 9410393020

प्रथम अपीलीय अधिकारी

डा० शुचिरिमता सेनगुप्ता पाण्डेय,
उप सचिव,
सी-30, सेक्टर-1, डिफेन्स कालोनी,
देहरादून.
दूरभाष न0 0135-2666778, 2666779 (कार्यालय)
0135-2728762 (आवास)
मोबाइल न0 9411110793



मैनुअल संख्या : 17 [धारा 4(1)(ख)(xvii)]

उत्तराखण्ड सूचना आयोग की ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाय

उत्तराखण्ड शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की जन सामान्य तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिये पाठन सामग्री प्रकाशित की गयी है, जिसे नागरिकों / जन सामान्य द्वारा आयोग की वैबसाईट uic.gov.in पर

ऑनलाईन रूप में देखा जा सकता है तथा आयोग कार्यालय से स-शुल्क प्रतियां (उपलब्धता के आधार पर) प्राप्त की जा सकती हैं।

